

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 28/18

जयपाल सिंह पुत्र इंद्रवीर सिंह गुर्जर आयु 20 वर्ष
निवासी ग्राम खरौआ तहसील गोहद जिला भिण्ड,
म.प्र.

विरुद्ध
पुलिस थाना गोहद
—आवेदक
—अनावेदक

जमानत आवेदन क्रमांक 29/18

नरेंद्र सिंह पुत्र चतुर सिंह गुर्जर आयु 37 वर्ष
निवासी ग्राम खरौआ तहसील गोहद जिला भिण्ड
म.प्र.

विरुद्ध
पुलिस थाना गोहद
—आवेदक
—अनावेदक

16-01-2018

आवेदकगण/आरोपीगण जयपाल व नरेंद्र की ओर से श्री आर०पी०एस० गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अधीनस्थ न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी जे०एम०एफ०सी० गोहद से मूल आपराधिक प्र०क्र० 09/18 पुलिस थाना गोहद विरुद्ध अरविंद उर्फ सोनू आदि प्राप्त।

उल्लेखनीय है कि जमानत आवेदन क्रमांक 28/18 आवेदक जयपाल सिंह का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० का है तथा जमानत आवेदन क्रमांक 29/18 आवेदक नरेंद्र जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० का है। इस प्रकार एक ही मामले में दोनों आवेदक/अभियुक्तगण के पृथक-पृथक जमानत आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण दोनों जमानत आवेदनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

उक्त दोनों आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री आर०पी०एस० गुर्जर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदनों के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही निराकृत हुये हैं।

आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्तगण जयपाल व नरेंद्र की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदकगण ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण को गलत रूप से रंजिशन झूठा आरोपी बनवाया है, जबकि वे मृत्तिका के परिवार से अलग रहते हैं। वे अपने परिवार का खेती करके भरण पोषण करते हैं यदि अधिक दिनों तक जेल में रखा गया तो उनकी खेती बर्बाद हो जायेगी और बच्चे भूखे मर जावेंगे। अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इन्हीं सब आधारों पर उन्हें जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल आपराधिक प्रकरण का संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि अभियोजन के अनुसार मृत्तिका सीतेश का विवाह चार वर्ष पूर्व अभियुक्त सौनू पुत्र अलवेल गुर्जर के साथ हुआ था। विवाह के बाद पति सौनू, सास गुडडी, ताउ ससुर राजा भईया, पप्पू, गुडडा, चचिया ससुर अतेंद्र, नरेंद्र, जेठ जयपाल, देवर सुरजीत, धर्मेंद्र मृत्तिका सीतेश को दहेज में दो लाख रुपये व दस तोला सोने के आभूषण की मांग करते हुये उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे तथा घर से निकाल दिया था, जिसकी रिपोर्ट भी थाना गोहद में की गई थी, उसके बावजूद भी पुनः दहेज की मांग करते रहे। दिनांक 08.10.17 को इन लोगों के द्वारा सीतेश की मारपीट की गई जिसके संबंध में इन लोगों से तथा रिश्तेदार राकेश व प्रकाश से बातचीत की गई, तब भी वे नहीं माने। दिनांक 09.10.17 को चतुर सिंह के पुरा गांव के बाहर एक पानी के गडडे में सीतेश की अधजली लाश बरामद हुई। उक्त सभी ने सीतेश की हत्या की साक्ष्य को मिटाने के लिये नाते रिश्तेदारों के सहयोग से उसकी लाश को क्षत विक्षत कर नष्ट कर दिया।

उक्त घटना के संबंध में सीतेश के पिता गंगा सिंह के द्वारा थाना गोहद में मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराई गई, जिसे जांच करने पर उक्त सभी लोगों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 229/17 अंतर्गत धारा 304-बी, 201, 34 भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

उक्त मामले में आवेदक/अभियुक्तगण जयपाल व नरेंद्र सिंह के विरुद्ध दहेज मृत्यु जैसे गंभीर अपराध में नामदर्ज रिपोर्ट कराया जाना बताया गया है, जो गंभीर प्रकृति का अपराध है और वर्तमान परिवेश में इस तरह की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जिससे समाज में महिलाओं के प्रति भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित होता है।

अतः उपरोक्तानुसार अपराध की गंभीरता एवं विवेचना के अनुक्रम

में संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचना उपरांत आवेदक/अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत अभियोग पत्र पेश हो जाने तथा मामले के संपूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्तगण जयपाल व नरेंद्र को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उनकी ओर से प्रस्तुत पृथक-पृथक जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किये जाते हैं।

आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख विधिवत वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस०के०गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गाहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी के लिए प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)